संख्या-34/2021/378 /71-3-2021-एन0एम0-08/2019टीसी

प्रेषक,

राम नेवास,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रधानाचार्य,
स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय,
बहराइच।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनॉक 02 मार्च, 2021**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2020-21 में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बहराइच में एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम संचालित किये जाने हेतु फर्नीचर की सूची अनुमोदित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-महा0सु0स्व0रा0चि0महा0/ए0का0/2020-21/3626, दिनांक 16.12.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बहराइच में एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम संचालित किये जाने हेतु फर्नीचर की सूची अनुमोदित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बहराइच में एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम संचालित किये जाने हेतु उपलब्ध करायी गयी फर्नीचर की सूची (संलग्नक के अनुसार) निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अनुमोदित की जाती है:-

1. प्रश्नगत फर्नीचर का क्रय एम0सी0आई0 के मानकों के अनुरूप किया जायेगा तथा प्रश्नगत फर्नीचर के मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी प्रधानाचार्य की होगी।
2. डुप्लीकेसी से बचने हेतु फर्नीचर/उपकरण क्रय करने से पूर्व सत्यापित करा लिया जाय। यह सुनिश्चित किया जाय कि फर्नीचर की वास्तविक रूप से आवश्यकता है।
3. यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि प्रश्नगत फर्नीचर की स्थापना हेतु स्थान, भवन आदि उपलब्ध है तथा संचालन हेतु मानव संसाधन उपलब्ध है।
4. स्वीकृत धनराशि से उन्हीं फर्नीचर का क्रय किया जायेगा जिसके स्पेसिफिकेशन उपलब्ध हो।
5. उपकरण/संयत्र के क्रय में सुसंगत वित्तीय नियमों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट आफ गुड्स) 2016 के प्राविधानों तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा निर्गत ई-टेण्डर/ई-प्रोक्योरमेन्ट/गवर्मेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल से सम्बन्धित शासनादेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार एवं व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा इसका उपयोग उन्हीं कार्य/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किसी अन्य कार्य/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
7. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त नहीं किया जायेगा, अपितु आवश्यकतानुसार किया जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरित कर पी0एल0ए0/बैंक खातें आदि में नहीं रखा जायेगा।
8. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग सुसंगत वित्तीय नियमों एवं समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
9. सुसंगत नियमों और प्राविधानों का पालन करते हुए पारदर्शी प्रकिया के तहत आवश्यक और उपयोगी उपकरण क्रय किया जाना चाहिए। क्रय की जाने वाली सामग्री की विशिष्टियों, गुणवत्ता व ऑडिट आदि की जिम्मेदारी क्रय करने वाली संस्था की होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

10. उक्त फर्नीचर का क्रय शासनादेश संख्या-57/2019/301-71-3-2109-एन0एम0-07/2019, दिनांक 18.03.2019 द्वारा अवमुक्त धनराशि से किया जायेगा।
11. क्रय किये जा रहे फर्नीचर की विशिष्टियों, गुणवत्ता एवं युक्तिसंगत दरों का निर्धारण सुसंगत नियमों के अंतर्गत किये जाने का उत्तरदायित्व चिकित्सा महाविद्यालय स्तर पर गठित क्रय समिति तथा प्रधानाचार्य का होगा।
12. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 24-03-2020 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनॉक 24 मार्च, 2020 में प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(राम नेवास)
विशेष सचिव।

संख्याः-34/2021/378 (1)/71-3-2021, तद्यदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. महानिदेशक, चि0शि0 एवं प्रशि0, उ0प्र0 लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बहराइच।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, बहराइच।
7. नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-34/2021/378-71-3-2021-एन0एम0-8/2019टीसी, दिनांक 02 मार्च, 2020 का संलग्नक।

स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय बहराइच हेतु फर्नीचर की सूची।

LAB NAME		PRICE
Amphibian Lab	Amphibian Lab Plat Form	1486661.232
	Preparation Room	198405.2
	Stool (60)	69600.00
	Store well (3)	53451.00
	Mid back chair	7018.00
	Executive Table	55755.00
Mammalian Lab	Mammalian Lab Plat Form	828324.364
	Preparation Room	170725.94
	Stool (60)	69600.00
	Store well (3)	53451.00
	Mid back chair	7018.00
	Executive Table	55755.00
Clinical Lab	Clinical Lab	828360.00
	Accessories	823411.552
	Work Top	774363.2
	Stool (60)	69600.00
	Store well (3)	53451.00
	Mid back chair	7018.00
	Executive Table	55755.00
Total		5667723.00

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।